न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :–नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय
1 / 39	25.02.2025	27.08.2025

बउनवान

01. कल्याण सहाय
02. देवीराम
03. रामौतार
04. धारासिंह
05. कमल सिंह पुत्रान स्व0 चेतराम जातियान जाट निवासीयान ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा जिला अलवर

वादीगण

बनाम

01. मंगल सिंह पुत्र स्व0 श्री रामनारायण
02. राधाकिशन उर्फ ताराचन्द पुत्र स्व0 श्री रामनारायण निवासीयान हल्दीना तहसील मालाखेडा जिला अलवर

असल प्रतिवादीगण

03. श्रीमान तहसीलदार साहब, मालाखेडा अलवर राज0

तकमीली प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :—

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नंबर 1626 रकबा 35 ऐयर, 1627 रकबा 23 ऐयर, 1655 रकबा 48 ऐयर, 1656 रकबा 24 ऐयर, 1657 रकबा 06 ऐयर, 1666 रकबा 23 ऐयर, 1667 रकबा 19 ऐयर, 1668 रकबा 20 ऐयर, 1669 रकबा 27 ऐयर, 1670 रकबा 19 ऐयर, 1673 रकबा 21 ऐयर, 1841 रकबा 02 ऐयर, 1842 रकबा 01 ऐयर, 1843 रकबा 08 ऐयर, 1844 रकबा 16 ऐयर किता 15 रकबा 2.92 हैक्टेयर मुन्दर्जे खाता संख्या नया 766 ग्राम हल्दीना आराजी खसरा नंबर 1845 रकबा 05 ऐयर व 1846 रकबा 28 ऐयर किता 2 रकबा 0.33 हैक्टेयर मुन्दर्जे खाता संख्या नया 761 ग्राम हल्दीना, आराजी खसरा नंबर 1386 रकबा 19 ऐयर, 1389 रकबा 71 ऐयर, 1390 रकबा 13 ऐयर, 1614 रकबा 32 ऐयर, 1617 रकबा 16 ऐयर, 1618 रकबा 16 ऐयर, 1619 रकबा 01 ऐयर, 1620 रकबा 05 ऐयर, 1621 रकबा 25 ऐयर, 1622 रकबा 11 ऐयर, 1624 रकबा 11 ऐयर, 1625 रकबा 34 ऐयर, 1628 रकबा 11 ऐयर, 1629 रकबा 08 ऐयर, 1630 रकबा 44

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

ऐयर, 1718 रकबा 69 ऐयर, 1720 रकबा 59 ऐयर, 1721 रकबा 25 ऐयर, 1722 रकवा 33 ऐयर, 1727 रकबा 14 ऐयर, 1728 रकबा 16 ऐयर, 1733 रकबा 14 ऐयर, 1736 रकबा 34 ऐयर, 1739 रकबा 14 ऐयर, 1740 रकबा 15 ऐयर, 1742 रकबा 14 ऐयर, 1746 रकबा 24 ऐयर, 1747 रकबा 43 ऐयर, 1847 रकबा 25 ऐयर, 1869 रकबा 15 ऐयर, 1870 रकबा 18 ऐयर, 1973 रकबा 06 ऐयर गैर मु0 अहाता, 1975 रकबा 03 ऐयर, 1976 रकबा 03 ऐयर, 1777 रकबा 01 ऐयर, 1778 रकबा 13 ऐयर किता 36 रकबा 7.75 हैक्टेयर मुन्दर्जे खाता संख्या नया 765 ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर में स्थित है। उपरोक्त आराजीयात में से मुन्दर्जे खाता संख्या 766 में प्रतिवादी संख्या 1 मंगल सिंह के नाम दर्ज 29/1152 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 राधाकिशन उर्फ ताराचंद के नाम दर्ज 29/1152 हिस्सा, खाता संख्या 761 में प्रतिवादी संख्या 1 मंगल सिंह के नाम दर्ज 91/5760 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 राधाकिशन उर्फ ताराचंद के नाम दर्ज 91/5760 हिस्सा तथा खाता संख्या 765 में प्रतिवादी संख्या 1 मंगलसिंह के नाम दर्ज 1/160 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ताराचंद पुत्र रामनारायण के नाम दर्ज 11/576 हिस्सा दावा हाजा में विवादित है। विवादित आराजी पूर्व में असल प्रतिवादीगण के पिता श्री रामनारायण पुत्र अन्धु जाट निवासी ग्राम हल्दीना की कब्जे काश्त खातेदारी की थी। रामनारायण ने अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजी को जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 26.06.1999 वादीगण के पिता श्री चेतराम पुत्र श्री जलसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हल्दीना को मु० 50,000/— रूपये में विक्रय कर दिया था और पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके क्रेता श्री चेतराम को भौतिक कब्जा मौके पर संभलवा दिया था। वादीगण के पिता श्री चेतराम जब तक जीवित रहे अपनी खरीदशुदा आराजी मुतनाजा पर बेरोकटोक शांति पूर्वक काबिज रहकर कार्य काश्तकारी करते रहे। वादीगण चेतराम के स्वर्गवास पश्चात विधिक वारिसान है जो कि विवादित आराजी पर अपने पिता स्व० श्री चेतराम के जीवनकाल से ही मुतवातिर काबिज रहकर कार्य काश्तकारी करते आ रहे है तथा आज भी मौके पर काबिज हैं। विक्रेता श्री रामनारायण का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण है, जिनका विवादित आराजी से कोई लेना देना किसी तरह का नहीं है, न कभी रहा है। वादीगण के पिता श्री चेतराम अनपढ ग्रामीण व्यक्ति थे जो बयनामा कराने के बाद इस विश्वास में रहे कि विवादित आराजी उसकी खातेदारी की हो चुकी है अर्थात उसे यह जानकारी नहीं थी कि बयनामा का इंतकाल भी दर्ज कराना आवश्यक होता है। चूँकि विवादित आराजी पर कब्जे काश्त को लेकर मौके पर कभी कोई विवाद नहीं था। इसलिए भी वादीगण के पिता बेरोकटोक निश्चिंत होकर विवादित आराजी पर कार्य काश्तकारी करते रहे तथा वादीगण के पिता के स्वर्गवास के बाद वादीगण को भी कभी राजस्व अभिलेख को देखने की जरूरत महसूस नहीं हुई इसलिए वर्तमान राजस्व अभिलेख की कोई जानकारी पूर्व में वादीगण को नहीं हो सकी।

अब वादीगण को केसीसी बनवाने हेतु अपने पिता की विरासत का इंतकाल खुलवाने की जरूरत हुई तो वादीगण ने दिनांक 10.02.2025 को हल्का पटवारी से संपर्क किया तो पता चला कि विवादित आराजी वादीगण के पिता के नाम दर्ज ही नहीं है बल्कि रामनारायण के मरने के बाद उसके वारिसान असल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम विरासत दर्ज होकर राजस्व अभिलेख में उनका नाम दर्ज हो रहा है। इसके बाद वादीगण ने कई बार असल प्रतिवादीगण से संपर्क किया और चेतराम के पक्ष में रामनारायण द्वारा कराये गये बयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज करवाने हेतु कहा तो उन्होंने पहले तो टालमटोल किया किन्तु दिनांक 18.02.2025 को असल प्रतिवादीगण ने इस बाबत कोई कार्यवाही करने से साफ इंकार कर दिया और विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल करने व दीगर लोगों

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

को आराजी मुतनाजा को मुन्तकिल मकफूल करने की धमकी दी। जबकि असल प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी हक हांसिल नहीं है जिस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। विवादित आराजी वादीगण के पिता श्री चेतराम द्वारा रजिस्टर्ड बयनामा से बाकायदा प्रतिफल अदा करके क्रय की थी और कब्जा प्राप्त किया था तथा वादीगण के पिता श्री चेतराम के स्वर्गवास के बाद विवादित आराजी वादीगण को विरासतन प्राप्त हुई है तथा वादीगण विवादित आराजी पर मौके पर बहैसियत बोनाफाईड पर्चेजर काबिज हैं। इसलिए वादीगण स्वयं को बयनामा की रूह से खातेदार काश्तकार घोषित कराने के कानूनन अधिकारी है। असल प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में खिलाफ कानून व खिलाफ मौका कब्जा चला आ रहा है जिसके कायम रहने से वादीगण के हक हकूक जायल होते हैं। इसलिए वादीगण राजस्व अभिलेख से असल प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात को अपने हकूकों के खिलाफ बातिल बेअसर करार दिलाते हुए कलमजन करवाने के कानूनन अधिकारी हैं। वादीगण जरिये स्थायी निषेधाज्ञा असल प्रतिवादीगण को उक्त आशय के लिए पाबंद कराने के भी कानूनन मुश्तहक है।

वाद पत्र वादीगण द्वारा वादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री सादिर फरमाई जाने का निवेदन किया कि डिक्री बाबत इश्तकरारहक सादिर की जाकर बयनामा दिनांक 26.06.1999 की रूह से विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 1626 रकबा 35 ऐयर, 1627 रकबा 23 ऐयर, 1655 रकबा 48 ऐयर, 1656 रकबा 24 ऐयर, 1657 रकबा 06 ऐयर, 1666 रकबा 23 ऐयर, 1667 रकबा 19 ऐयर, 1668 रकबा 20 ऐयर, 1669 रकबा 27 ऐयर, 1670 रकबा 19 ऐयर, 1673 रकबा 21 ऐयर, 1841 रकबा 02 ऐयर, 1842 रकबा 01 ऐयर, 1843 रकबा 08 ऐयर, 1844 रकबा 16 ऐयर किता 15 रकबा 2.92 हैक्टेयर मुन्दर्ज खाता संख्या नया 766 ग्राम हल्दीना आराजी खसरा नंबर 1845 रकबा 05 ऐयर व 1846 रकबा 28 ऐयर किता 2 रकबा 0.33 हैक्टेयर मुन्दर्ज खाता संख्या नया 761 ग्राम हल्दीना आराजी खसरा नंबर 1386 रकबा 19 ऐयर, 1389 रकबा 71 ऐयर, 1390 रकबा 13 ऐयर, 1614 रकबा 32 ऐयर, 1617 रकबा 16 ऐयर, 1618 रकबा 16 ऐयर, 1619 रकबा 01 ऐयर, 1620 रकबा 05 ऐयर, 1621 रकबा 25 ऐयर, 1622 रकबा 11 ऐयर, 1624 रकबा 11 ऐयर, 1625 रकबा 34 ऐयर, 1628 रकबा 11 ऐयर, 1629 रकबा 08 ऐयर, 1630 रकबा 44 ऐयर, 1718 रकबा 69 ऐयर, 1720 रकबा 59 ऐयर, 1721 रकबा 25 ऐयर, 1722 रकबा 33 ऐयर, 1727 रकबा 14 ऐयर, 1728 रकबा 16 ऐयर, 1733 रकबा 14 ऐयर, 1736 रकबा 34 ऐयर, 1739 रकबा 14 ऐयर, 1740 रकबा 15 ऐयर, 1742 रकबा 14 ऐयर, 1746 रकबा 24 ऐयर, 1747 रकबा 43 ऐयर, 1847 रकबा 25 ऐयर, 1869 रकबा 15 ऐयर, 1870 रकबा 18 ऐयर, 1973 रकबा 06 ऐयर गै०मु० अहाता, 1975 रकबा 03 ऐयर, 1976 रकबा 03 ऐयर, 1777 रकबा 01 ऐयर, 1778 रकबा 13 ऐयर किता 36 रकबा 7.75 हैक्टेयर मुन्दर्जे खाता संख्या नया 765 ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेड़ा में से मुन्दर्जे खाता संख्या 766 में प्रतिवादी संख्या 1 मंगल सिंह के नाम दर्ज 29/1152 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 राधाकिशन उर्फ ताराचंद के नाम दर्ज 29/1152 हिस्सा खाता संख्या 761 में प्रतिवादी संख्या 1 मंगल सिंह के नाम दर्ज 91/5760 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 राधाकिशन उर्फ ताराचंद के नाम दर्ज 91/5760 हिस्सा तथा खाता संख्या 765 में प्रतिवादी संख्या 1 मंगलसिंह के नाम दर्ज 1/160 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ताराचंद पुत्र रामनारायण के नाम दर्ज 11/576 हिस्सा का वादीगण को बहिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में असल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो रहे इन्द्राजात को वादीगण के हकूकों

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

मुकाबले बातिल बेअसर करार देते हुए कलमजन कराया जावे उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज कराया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की ओर से वकील प्रतिवादी ने इकबाल जवाबदावा पेश किया।

वादी वकील ने साक्ष्यवादी गवाह मे रामौतार पुत्र चेतराम तथा कल्याण पुत्र चेतराम के हल्फनामे पेश किये, साक्ष्य प्रदर्श वकील वादी द्वारा अंकित किये गये एवं साक्ष्य के रूप मे पंजीकृत बयनामा दिनांक 26.06.1999 की प्रमाणित प्रति पेश की।

वकील प्रतिवादी ने जिरह तथा साक्ष्य प्रतिवादी करने से इन्कार किया। पत्रावली मे बहस सुनी।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो का अध्ययन किया तथा वादीगण के विद्वान वकील की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज पंजीकृत बयनामा दिनांक 26.06.1999 में रामनारायण पुत्र अन्धु जाति जाट निवासी ग्राम हल्दीना, सब तहसील मालाखेडा द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1386 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 1389 रकबा 0.71 हैक्टेयर, 1390 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1614 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 1617 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1618 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1619 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1620 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 1621 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 1622 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 1624 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 1625 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 1626 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 1627 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 1628 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 1629 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1630 रकबा 0.44 हैक्टेयर, 1655 रकबा 0.48 हैक्टेयर, 1656 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 1657 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1666 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 1667 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 1668 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 1669 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 1670 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 1673 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 1718 रकबा 0.69 हैक्टेयर, 1720 रकबा 0.59 हैक्टेयर, 1721 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 1722 रकबा 0.33 हैक्टेयर, 1727 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1728 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1733 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1736 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 1739 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1740 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1742 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1746 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 1747 रकबा 0.43 हैक्टेयर, 1841 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 1842 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1843 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1844 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1845 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 1846 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 1847 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 1869 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1870 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 1973 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1975 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1976 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1977 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1978 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 53 कुल रकबा 11.00 हैक्टेयर चाही प्रथम 10.94 हैक्टेयर, गैर मु0 अहाता 0.06 हैक्टेयर मे से 1/32 हिस्सा चेतराम पुत्र जलसिंह निवासी ग्राम हल्दीना सब तहसील मालाखेडा को किये जाने का वर्णन है। असल प्रतिवादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष का समर्थन किया है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के पिता रामनारायण पुत्र अन्धु जाति जाट, निवासी ग्राम हल्दीना द्वारा वादीगण के पिता चेतराम पुत्र जलसिंह जाति जाट, निवासी ग्राम हल्दीना को विवादित आराजीयात का बेचान जरिये बैयनामा दिनांक 26.06.1999 को किया गया, किन्तु जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं हो पाया। अतः प्रतिवादीगण का नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में से कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खाता संख्या नया 765 खसरा नम्बरखसरा नम्बर 1386 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 1389 रकबा 0.71 हैक्टेयर, 1390 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1614 रकबा 0.32 हैक्टेयर,

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

617 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1618 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1619 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1620 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 1621 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 1622 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 1624 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 1625 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 1628 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 1629 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1630 रकबा 0.44 हैक्टेयर, 1718 रकबा 0.69 हैक्टेयर, 1720 रकबा 0.59 हैक्टेयर, 1721 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 1722 रकबा 0.33 हैक्टेयर, 1727 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1728 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1733 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1736 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 1739 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1740 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1742 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1746 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 1747 रकबा 0.43 हैक्टेयर, 1847 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 1869 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1870 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 1973 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1975 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1976 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1977 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1978 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 36 कुल रकबा 7.75 हैक्टेयर व आराजी खाता संख्या नया 761 खसरा नम्बर 1845 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 1846 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर एवं आराजी खाता संख्या नया 766 खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 1627 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 1655 रकबा 0.48 हैक्टेयर, 1656 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 1657 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1666 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 1667 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 1668 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 1669 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 1670 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 1673 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 1841 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 1842 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1843 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1844 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 2.92 हैक्टेयर मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 29/1152 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 राधाकिशन उर्फ ताराचन्द के नाम दर्ज 29/1152 हिस्सा, खाता संख्या–761 में प्रतिवादी संख्या 1 मंगल के नाम दर्ज 91/5760 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 राधाकिशन उर्फ ताराचन्द के नाम दर्ज 91/5760 हिस्सा तथा खाता संख्या 765 में प्रतिवादी संख्या 1 मंगल सिंह के नाम दर्ज 1/160 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 राधाकिशन उर्फ ताराचन्द के नाम दर्ज 1/160 हिस्से का वादीगण को बहिस्से बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में सही अंकन किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मालाखेडा को पालनार्थ भिजवाई जावे।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

निर्णय आज दिनाक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)